लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 550

जिसका उत्तर बुधवार, 23 जुलाई, 2025 को दिया जाएगा

एचएफएसएस खाद्य पदार्थों की लेबलिंग का विनियमन

550. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अधिक मात्रा में वसा, नमक अथवा चीनी (एचएफएसएस) वाले डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों की व्यापक श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने समग्र प्रसंस्कृत खाद्य उपभोग में उनकी हिस्सेदारी का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जोखिमों से अवगत कराने में फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (एफओपीएल) की प्रभावशीलता की समीक्षा की है और यदि हां, तो ऐसी समीक्षाओं या परामर्शी के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) चिली और मैक्सिकों जैसे देशों में विशेषकर उपभोक्ता समझ और जन स्वास्थ्य परिणामों के संदर्भ में चेतावनी लेबलों के प्रयोग जैसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोतम पद्धतियों के साथ भारत के लेबलिंग ढांचे की तुलना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एचएफएसएस खाद्य पदार्थों, विशेषकर बच्चों के लिए लक्षित खाद्य पदार्थों के लिए चेतावनी लेबल सहित सख्त एफओपीएल मानकों को अपनाने का है और ऐसे विनियमों को अंतिम रूप देने और कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 13 सितंबर, 2022 को फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग (एफओपीएनएल) और उच्च वसा, चीनी, नमक (एचएफएसएस) आदि से संबंधित मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियमन, 2020 को अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने 17 फरवरी 2025 को मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "योजित शर्करा, सैचुरेटेड वसा और सोडियम तत्वों के संबंध में आंकलित अनुशंसित आहार मान (आरडीए) में प्रति परोसे प्रतिशत (%) अंश की जानकारी अपेक्षाकृत बढ़े हुए फ़ॉन्ट आकार के साथ मोटे अक्षरों में दी जानी चाहिए।"

एफएसएसएआई भ्रामक स्वास्थ्य दावों के लिए लेबल और विज्ञापनों की निगरानी करता है और ग्रामीण, शहरी और ई-कॉमर्स क्षेत्रों सहित पूरे भारत में खाद्य उत्पादों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है। नियामक प्राधिकरण लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम, 2020 के माध्यम से चीनी प्रकटीकरण मानदंडों को भी लागू करता है, जो उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों के बाजार में उपस्थिति और उपभोक्ता जोखिम का आकलन करने में मदद करता है।

(ग) और (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने विभिन्न लेबलिंग प्रणालियों के लिए उपभोक्ताओं की पसंद का आकलन करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद को फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (एफओपीएल) पर एक अध्ययन करने का काम सौंपा है।

भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) ने फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग (एफओपीएल) के बारे में उपभोक्ता की समझ और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 20,000 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करते हुए भारत का पहला बड़े पैमाने पर यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (आरसीटी) आयोजित किया।

(ङ) और (च): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने 13 सितंबर 2022 को फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग (एफओपीएनएल) मॉडल के रूप में एफएसएस (लेबलिंग और डिस्प्ले) संशोधन विनियमन, 2022 का मसौदा अधिसूचित किया है। इस मसौदे पर खाद्य व्यापार संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से 14,000 से अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

*****